न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 17/2023
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः– 53 आरटीए

सुखदेव सिंह पुत्र निर्भय सिंह जाति जटसिख निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ — वादी

वनाम

1. गगनदीपसिंह पुत्र जरनैलसिंह जाति जटसिख निवासी नगराना
2. गुरदाससिंह पुत्र मुखत्यारसिंह जाति जटसिख निवासी नगराना
3. जगतारसिंह पुत्र मुखत्यारसिंह जाति जटसिख निवासी नगराना
4. बलदेवसिंह पुत्र शेरसिंह जाति जटसिख निवासी नगराना
5. बिकरसिंह उर्फ विक्रम सिह पुत्र मुखत्यारसिंह जाति जटसिख निवासी नगराना
6. मदनलाल पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी नगराना
7. महेन्द्र कुमार पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी नगराना
8. विक्रमसिंह पुत्र मुखत्यारसिंह जाति जटसिख निवासी नगराना (नाम कलमजन)
9. एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. शाखा संगरिया
10. पंजाब नेशनल बैंक शाखा नगराना
11. तहसीलदार राजस्व संगरिया

— प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :–

1. श्री नवरत्न स्वामी अधिवक्ता – वादी
2. श्री कैन्हेयालाल अधिवक्ता–प्रतिवादी संख्या 1 ता 7

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार वही है जो कि वाद शीर्षक में अंकित है। वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खाता चक नं. 5 एनजीआर खाता संख्या 133/76 के खातेदार काश्तकार है। जिसमें वादी कुल खाता 17.355है. में से 1771/17355 हिस्सा यानि 1.771है. नहरी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है। नकल जमाबंदी हमराज दावा प्रस्तुत है वादी एवं प्रतिवदीगण का आपस में अर्सा दराज पूर्व अच्छी मंदी अनुसार घरू तौर पर बंटवारा हो चुका है। मुताबिक घरू बंटवारा के वादी के हिस्सा व कब्जा काश्त में निम्न प्रकार से भूमि आई है:–

चक नं.	खाता सं.	पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
5 एनजीआर	133/76	174/214	17	16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है गै.मु. खाला, 17,21,22,23,24/1.265है. 25/1/0.228है., 25/2/0.025 है.गै.मु. खाला कुल 1.771 है. नहरी मय गै.मु.

वादी ने घरू बंटवारा के मुताबिक अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि पर काफी पैसा खर्च कर, काफी श्रम कर भूमि सुधार किया है व उसे काश्त योग्य बनाया है। जिसका वादी खाता तकसीम करवा कर रकम राज अलग से कायम करवाने के मुस्तहक व दावेदार है। वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा कि मुताबिक घरू बंटवारा व मौका की कब्जा काश्त के अनुसार अपना अलग से कायम करवाकर रकम राज अलग से कायम करवा लेवे किंतु प्रतिवादीगण पहले तो टाल–मटोल करते रहे एवं अंत में पिछले सप्ताह ऐसा करने से कतई इनकार कर दिया। बस यही विनाय दावा है। वादी एवं प्रतिवादीगण का आपस में सींव बट एवं रकम राज का सदैव ही झगड़ा बना रहता है। यदि कब्जा काश्त मुताबिक खाता तकसीम नहीं किया गया तो वादी को कभी न पुरा होने वाला नुकसान होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धन में न हो सकेगी। प्रतिवादीगण न. 1 ता 8 को संयुक्त खाता में खातेदार काश्तकार व प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण नं. 9 ता 10 को बैंक प्रतिनिधि होने के कारण व प्रतिवादी नं. 11 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया है। इनसे किसी प्रकार का डायरेक्ट अनुतोष नहीं चाहा गया है।

लिहाजा वाद, वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि वाद पत्र की चरण सं. 3 के मुताबिक खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम करने के आदेश फरमाने।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। जिसका वादी ने कोई विरोध नहीं किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। बिकर सिह उर्फ विक्रम सिह पुत्र मुखत्यार सिह जाति जटसिख निवासी नगराना ने प्रार्थना पत्र मय शपथ एव ग्राम पंचायत नगराना का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 5 व 8 पर अंकित दोनो नाम एह ही व्यक्ति के होना तथा प्रतिवादी संख्या 8 पर अंकित नाम हटाये जाने का निवेदन किया जिस पर वकील वादी ने अपनी सहमति दिये जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। वादी अधिवक्ता ने प्रतिवादीप्रतिवादी संख्या 11 की ओर से जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के सम्मन तामिल होकर प्राप्त होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई। साक्ष्य वादी में वादी सुखदेव सिह की ओर से आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नही करना चाहते है इसलिए साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से तनकीयात कायम नही की गई व बहस वकील वादी एवं प्रतिवादीगण सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 सह–काश्तकार है। वादी घरू बंटवारा में अच्छी मंदी के अनुसार बंटवारा कर वाद पत्र की चरण संख्या 3 अनुसार कृषि भूमि प्राप्त कर रहा है। वाद पत्र का कोई विरोध नही है। अतः वादी का वाद पत्र मुताबिक अनुतोश डिक्री किया जाकर पक्षकारो का राजस्व रिकार्ड में खाता अलग–कायम कर रकमराज अलग कायम करने का आदेश देवे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के अधिवक्ता ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम अनुसार वाद पत्र डिक्री करने पर सहमति दौराने बहस दी।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी चक 5 एनजीआर खाता संख्या 133/76 खाता गगनदीप वगैरा सम्वत 2072–2075 में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से सांझा खाता में वादग्रस्त आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रष्नगत आराजी पर वादी एवं प्रतिवादीगण घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रतिवादीगण ने वादी के वाद पत्र को स्वीकार करते हुए जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया है। वाद पत्र का कोई विरोध नही है। मुताबिक वाद पत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 खाता विभाजन के अधिकारी है। मुताबिक अनुतोष वादी एवं प्रतिवादीगण का घरू बंटवारा के मुताबिक खाता अलग कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री किया जाता हैः–

1. चक 5 एनजीआर खाता संख्या 133/76 सम्वत 2072–2076 में काश्तकार वादी सुखदेव सिह के हक व हिस्से की कृषि भूमि :–

चक नं.	पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
5 एनजीआर	174/214	17	16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है गै.मु. खाला, 17,21, 22,23,24/1.265है. 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है गै.मु. खाला कुल 1.771 है. नहरी मय गै.मु.

2. चक 5 एनजीआर खाता संख्या 133/76 सम्वत 2072–2076 में काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 गगनदीप सिह के हक व हिस्से की कृषि भूमि :–

चक नं.	पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
5 एनजीआर	174/213	12	6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है गै.मु. खाला, 15/1/0.228 है., 15/2/0.025है. गै.मु. खाला, 16/1/0.228है., 16/2/0...

			025है. गै.मु. खाला, 24/0.240है, 25/1/0.216है0, 25/2/0.025है. गै.मु. खाला
	175/213	11	20/0.151 है. कुल 1.391है. नहरी मय गै.मु.

3. चक 5 एनजीआर खाता संख्या 133/76 सम्वत 2072–2076 में काश्तकार प्रतिवादी संख्या 2 गुरदास सिंह के हक व हिस्से की कृषि भूमि :–

चक नं.	पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
5 एनजीआर	175/213	11	12,13/0.506है., 17,18,19/0.759है, 20/0.102है., 21 ता 24/1.012है., 25/1/0.228है., 25/2/0.025है. गै.मु. रास्ता
	174/213	12	24/0.013है. 25/1/0.012है. कुल 2.657 है.

4. चक 5 एनजीआर खाता संख्या 133/76 सम्वत 2072–2076 में काश्तकार प्रतिवादी संख्या 3 जगतार सिंह के हक व हिस्से की कृषि भूमि :–

चक नं.	पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
5 एनजीआर	175/213	11	5/1/0.114 है., 5/2/0.012है.गै.रास्ता, 6/1/0.228है., 6/2/0.025 है. गै.मु.रास्ता, 7 ता 10/1.012है.
	176/213	10	1,10,11/0.759है.
	175/214	18	1 ता 4, 7 ता 13/2.783 है. कुल 4.933 है. नहरी मय गै.मु.

5. चक 5 एनजीआर खाता संख्या 133/76 सम्वत 2072–2076 में काश्तकार प्रतिवादी संख्या 5 बिकरसिंह उर्फ विक्रम सिंह के हक व हिस्से की कृषि भूमि :–

चक नं.	पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
5 एनजीआर	175/213	11	5/1/0.114है.,5/2/0.013है.गै.रास्ता, 14/0.253है., 15/1/0.228है., 15/2/0.025है.,गै.मु. रास्ता,16/1/0.228है.,16/2/0.025 है., गै.मु. रास्ता
	175/212	6	24/0.253है., 25/1/0.228है., 25/2/0.025है. गै.मु. रास्ता
	175/214	17	3/0.240है., 4/0.253है., 5/1/0.228है., 5/2/0.025है., गै.मु. खाला, 6/1/0.228है., 6/2/0.025है., गै.मु. खाला, 7,8/0.506है. 12,13,14/0.759है., 15/1/0.228है. 15/2/0.025है.गै.. मु. खाला, 18,19/0.506है.
	176/212	7	.21/0.253है. कुल 4.668 है. नहरी मय गै.मु.

6. चक 5 एनजीआर खाता संख्या 133/76 सम्वत 2072–2076 में काश्तकार प्रतिवादी संख्या 4 बलदेव सिंह के हक व हिस्से की कृषि भूमि :–

चक नं.	पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
5 एनजीआर	175/214	18	18 ता 20/0.759 है.

7. चक 5 एनजीआर खाता संख्या 133/76 सम्वत 2072–2076 में काश्तकार प्रतिवादी संख्या 6 मदनलाल प्रतिवादी संख्या 7 महेन्द्र कुमार के हक व हिस्से की कृषि भूमि :–

चक नं.	पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
5 एनजीआर	175/213	11	1 ता 4/1.012 है.

उक्तनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता अलग कायम करने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेष दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निज.........X.........मुब्लिक.........X.........बाबत.........X.........खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.........X.........को अदा करे ।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....22/3/2023.....को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

22/3/23

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी संगरिया

संगरिया

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 53 आरटीए

प्रकरण संख्याः– 17 / 2023

सुखदेव सिंह पुत्र निर्भय सिंह जाति जटसिख निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

वादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. गगनदीपसिंह पुत्र जरनैलसिंह जाति जटसिख निवासी नगराना
2. गुरदाससिंह पुत्र मुखत्यारसिंह जाति जटसिख निवासी नगराना
3. जगतारसिंह पुत्र मुखत्यारसिंह जाति जटसिख निवासी नगराना
4. बलदेवसिंह पुत्र शेरसिंह जाति जटसिख निवासी नगराना
5. बिकरसिंह उर्फ विक्रम सिह पुत्र मुखत्यारसिंह जाति जटसिख निवासी नगराना
6. मदनलाल पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी नगराना
7. महेन्द्र कुमार पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी नगराना
8. विक्रमसिंह पुत्र मुखत्यारसिंह जाति जटसिख निवासी नगराना (नाम कलमजन)
9. एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. शाखा संगरिया
10. पंजाब नेशनल बैंक शाखा नगराना
11. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल अर्जई रुबरू हमारे बहाजरी श्री नवरत्न स्वामी वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कैन्हेयालाल वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व निम्नानुसार डिक्री दी जाती है:–

1. चक 5 एनजीआर खाता संख्या 133 / 76 सम्वत 2072–2076 में काश्तकार वादी सुखदेव सिह के हक व हिस्से की कृषि भूमि :–

चक नं.	पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
5 एनजीआर	174 / 214	17	16 / 1 / 0.228 है., 16 / 2 / 0.025 है गै.मु. खाला, 17,21, 22,23,24 / 1.265है. 25 / 1 / 0.228 है., 25 / 2 / 0.025 है.गै.मु. खाला कुल 1.771 है. नहरी मय गै.मु.

2. चक 5 एनजीआर खाता संख्या 133 / 76 सम्वत 2072–2076 में काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 गगनदीप सिह के हक व हिस्से की कृषि भूमि :–

चक नं.	पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
5 एनजीआर	174 / 213	12	6 / 1 / 0.228 है., 6 / 2 / 0.025 है गै.मु. खाला, 15 / 1 / 0.228 है., 15 / 2 / 0.025है. गै.मु. खाला, 16 / 1 / 0.228है., 16 / 2 / 0. 025है. गै.मु. खाला, 24 / 0.240है, 25 / 1 / 0.216है0, 25 / 2 / 0. 025है. गै.मु. खाला
	175 / 213	11	20 / 0.151 है. कुल 1.391है. नहरी मय गै.मु.

3. चक 5 एनजीआर खाता संख्या 133 / 76 सम्वत 2072–2076 में काश्तकार प्रतिवादी संख्या 2 गुरदास सिंह के हक व हिस्से की कृषि भूमि :–

चक नं.	पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
5 एनजीआर	175 / 213	11	12,13 / 0.506है., 17,18,19 / 0.759है, 20 / 0.102है., 21 ता 24 / 1.012है., 25 / 1 / 0.228है., 25 / 2 / 0.025है. गै.मु. रास्ता
	174 / 213	12	24 / 0.013है. 25 / 1 / 0.012है. कुल 2.657 है.

4. चक 5 एनजीआर खाता संख्या 133 / 76 सम्वत 2072–2076 में काश्तकार प्रतिवादी संख्या 3 जगतार सिंह के हक व हिस्से की कृषि भूमि :–

चक नं.	पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
5 एनजीआर	175 / 213	11	5 / 1 / 0.114 है., 5 / 2 / 0.012है.गै.रास्ता, 6 / 1 / 0.228है., 6 / 2 / 0.025 है. गै.मु.रास्ता, 7 ता 10 / 1.012है.
	176 / 213	10	1,10,11 / 0.759है.
	175 / 214	18	1 ता 4, 7 ता 13 / 2.783 है. कुल 4.933 है. नहरी मय गै.मु.

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

5. चक 5 एनजीआर खाता संख्या 133/76 सम्वत 2072–2076 में काश्तकार प्रतिवादी संख्या 5 बिकरसिंह उर्फ विक्रम सिंह के हक व हिस्से की कृषि भूमि :–

चक नं.	पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
5 एनजीआर	175/213	11	5/1/0.114है.,5/2/0.013है.गै.रास्ता, 14/0.253है., 15/1/0.228है., 15/2/0.025है.,गै.मु. रास्ता,16/1/0.228है.,16/2/0.025 है., गै.मु. रास्ता
	175/212	6	24/0.253है., 25/1/0.228है., 25/2/0.025है. गै.मु. रास्ता
	175/214	17	3/0.240है., 4/0.253है., 5/1/0.228है., 5/2/0.025है., गै.मु. खाला, 6/1/0.228है., 6/2/0.025है., गै.मु. खाला, 7,8/0.506है. 12,13,14/0.759है., 15/1/0.228है. 15/2/0.025है.गै.. मु. खाला, 18,19/0.506है.
	176/212	7	.21/0.253है. कुल 4.668 है. नहरी मय गै.मु.

6. चक 5 एनजीआर खाता संख्या 133/76 सम्वत 2072–2076 में काश्तकार प्रतिवादी संख्या 4 बलदेव सिंह के हक व हिस्से की कृषि भूमि :–

चक नं.	पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
5 एनजीआर	175/214	18	18 ता 20/0.759 है.

7. चक 5 एनजीआर खाता संख्या 133/76 सम्वत 2072–2076 में काश्तकार प्रतिवादी संख्या 6 मदनलाल प्रतिवादी संख्या 7 महेन्द्र कुमार के हक व हिस्से की कृषि भूमि :–

चक नं.	पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
5 एनजीआर	175/213	11	1 ता 4/1.012 है.

उक्तनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता अलग कायम करने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज....X....नल....X....मुब्लिक....X....निल....X....बाबत्....X....निल....100....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक............अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक....22/3/2023....................को जारी किया गया।

22/3/2023

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
संगरिया

नोट :- प्रतिवादी सं. 1 गगनदीप सिंह के हक व हिस्से की कृषि भूमि चक 5 एनजीआर के पं. नं. 174/213 के मु. नं. 12 के कि. नं. 6/1/0.228 के स्थान पर 6/1/0.152 है. व कि. न. 15/1/0.228 के स्थान पर 15/1/0.215 है. संशोधन किया जाता है तथा उक्त प्रतिवादी सं. 1 गगनदीप सिंह के हक व हिस्से में चक 5 NGR के पं. नं. 174/213 के मु. नं. 11 का कि. नं. 11 जोडा जाता है। शेष आदेश यथावत रहेगा।

16/5/23

प्रशासन गांवों के संग अभियान...2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल...ज.05 ताला सिवान

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official